न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 215/2016 साबिक प्र.स. 152/2013

उनवान

1 छोगा पिता उदा जाट उम्र–वयस्क निवासी निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकला जिला शाहपुरा

——— वादी

बनाम

1 जिलाधीश महोदय, जिला कार्यालय शाहपुरा राज.
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)
3 धीसू पिता श्रीकिशन भील उम्र–वयस्क निवासी निवासी सणगारी तहसील फूलियाकला जिला शाहपुरा
4 गोपाल पिता श्रीकिशन भील उम्र–वयस्क निवासी निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकला जिला शाहपुरा
5 मुन्नी बैदा श्रीकिशन भील उम्र–वयस्क निवासी निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश वर्मा———वादीया अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक – 23.02.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद पत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का क्षेत्र हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां की सरहद में स्थित साबिक आराजी संख्या 78/3 रकबा 6.00 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड थी। जिसमें से वादी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.01.1986 को 02–10 बीघा भूमि नियमान्तर्गत आवंटन की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर कृषि भूमि का कब्जा सिपूर्द किया गया। वादी अलॉटशुदा भूमि पर बहैसियत काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। नामान्तरकरण संख्या 1165 से वादी के पक्ष में भूमि गैर खातेदारी अधिकार से दर्ज किया गया। भू–प्रबन्ध कार्यवाही में साबिक खसरे के नवीन निर्मित खसरा संख्या 1640 रकबा 1.30 हैक्ट. आराजी संख्या 1641 रकबा 1.55 हैक्टयर, एवं आराजी संख्या 1642 रकबा 0.52 हैक्टयर कायम हुए। लेकिन तीनो नम्बरों में से वादी आराजी संख्या 1643 रकबा 0.19 हैक्ट. व आराजी संख्या 1642 रकबा 0.52 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 0.71 हैक्टयर पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के वादी बतौर गैरखातेदार होते हुए भी आराजी संख्या 1642 को बिलानाम सरकार से दर्ज कर दिया। वादी को विधिक रूप से सूचित किए बिना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाकर अभिलेखो में यह बदलाव किया गया। जो काबिले निरस्तगी के है। प्रतिवादी संख्या 03 से 05 आये दिन वादी को कब्जेशुदा भूमि से बैदखल करने का प्रयास करते है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कला, जिला–शाहपुरा

(2)

प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के पक्ष किया गया यह इन्द्राज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 937/99 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.99 से बिलानाम आराजी 1642 रकबा 0.52 में से 0.30 हैक्टयर भूमि को नवीन बटा नम्बर 1642/1 कायम कर खसरे का प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के नाम पर दर्ज कर दिया। जबकि वादी को यह खसरा वर्ष 1986 में ही आवंटन किया जा चुका था। वादी का खसरे पर कब्जा होते हुए भी बिना वादी सूचना दिये न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी कर एक विधिक भूल कारित की गई है। जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का क्षेत्र हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां स्थित हाल आराजी संख्या आराजी संख्या 1642 रकबा 0.52 हैक्टयर, आराजी संख्या 1643 रकबा 0.19 हैक्टयर, किता 2 कुल रकबा 0.71 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलखों में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावें, तथा साथ ही उक्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 15.10.2003 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 से 05 को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी स्वयं विपक्षीगण अथवा उनकी ओर से कोई वैद्य प्रतिनिधि पैरवी हेतु हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 राज्य पक्ष भूमिधारी तहसीलदार की ओर से खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब से यह अवगत कराया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 937/99 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.99 से बिलानाम आराजी 1642 रकबा 0.52 में से 0.30 हैक्टयर भूमि को नवीन बटा नम्बर 1642/1 कायम कर खसरे का प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के नाम पर दर्ज कर दिया गया। इस पारित निर्णय के विरूद्ध वादी को सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी। अतः वादपत्र सव्यय निरस्त कराना फरमावें।

विपक्षी का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण में 03 तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी वादीया पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। वादी पक्ष द्वारा बतौर गवाह वादी श्री छोगा जाट के शहादत्त में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिशल कर, प्रकरण को जिरह् के चरण पर नियत किया गया। वादी की ओर से उपस्थित पी.डब्ल्यू 01 गवाह से जिरह कार्यवाही में बयानात कलमबद्ध किए गये।

इसके पश्चात प्रकरण को शहादत्त प्रतिवादी चरण पर पंजीबद्ध किया गया। किन्तु शहादत्त में प्रतिवादी पक्ष की ओर से डी.डब्ल्यू प्रस्तुत नही किये जाने से विपक्षी की शहादत्त भी समाप्त की गई। इस उपरान्त वादी के नियुक्त अधिवक्ता ने मामले के अति–आवश्यक होने का कथन रखते हुए, बहस प्रस्तुत करना चाहने से व नियत सनुवाई पर प्रतिवादीगण पक्ष गैरहाजिर रहने से मामले में बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

(3)

प्रकरण मे 03 तनकियात कायम होकर वाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

तनकि संख्या 01 ! " आया वादी ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का क्षैत्र हुकमपुरा तहसील फुलियाकंला स्थित वादी के पक्ष में आवंटनशुदा भूमि के पैमाईश पश्चात पडे नवीन आराजी नम्बर 1642, 1643 किता 2 रकबा 0.71 हैक्ट. भूमि के सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान भूमिधारी के पक्ष दोषयुक्त ईन्द्राज को राजस्व अभिलेखों में पुनः ईन्द्राज दुरूस्ती करवाई जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित होकर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ? "

वा–जिम्मे वादी

तनकी संख्या 02 ! " आया वादग्रस्त आराजीयात भूमि पर से वादी के हक हिस्से में उपयोग–उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, रूकावट उत्पन्न नही करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? "

वा–जिम्मे वादी

तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का दायित्व वादी के जिम्मे रखा गया।

वादग्रस्त साबिक खसरान 78/3 में से 2.10 बीघा भूमि को वादी श्री छोगा पिता उदा जाट निवासी हुकमपुरा के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 07.05.1986 से आवंटित की गई। तदोपरान्त मिसल संख्या 429/86 दिनांक 07.05.1986 से भूमि पर वादी को गैरखातेदार अधिकार प्रदान किए गये। यह तथ्य प्रदर्श दस्तावेज संख्या 03, 04 आवंटन आदेश से साबित हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत किए गये भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श दस्तावेज संख्या 06 के अवलोकन से 78/3 का हाल खसरा 1640, 1641, 1642 का नवीन निर्मित होना साबित हुआ है। वर्तमान में हाल खसरान संख्या 1640, 1641 रकबा 2.85 हैक्टयर तथा आराजी संख्या 1642/1 रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के पर दर्ज है जो प्रदर्श दस्तावेज संख्या 09 चालू जमाबन्दी से साबित हुआ है। वर्तमान आराजी संख्या 1642 रकबा 0.22 हैक्टयर को बिलानाम सरकार से दर्ज किया हुआ है इसकी ताईद चालू जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज संख्या 8 से हुई है।

लेकिन जिस बिलानाम खसरा संख्या 1642 रकबा 0.52 हैक्ट. भूमि इस दावे के माध्यम से वांछना की गई है इस खसरे को दो भागो विभाजित कर, 0.22 हैक्ट को बिलानाम एवं शेष रकबे 0.30 हैक्ट. को नवीन बटा नम्बर 1642/1 से प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के अधिकारों में दिया हुआ है। प्रदर्श दस्तावेजात से यह साबित हुआ है। प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के नवीन बटा नम्बर 1642/1 उनके नाम पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 937/99 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.99 से दर्ज हुए है। इस इन्द्राज में किसी प्रकार बदलाव किया जाना सक्षम स्तर पर संभव है। लेकिन रहा प्रश्न बिलानाम खसरा संख्या 1642 रकबा 0.22 हैक्ट. भूमि का तो इस पर वादी ने अपना हक पूर्णतया साबित किया है।

हाल खसरा संख्या 1643 रकबा 0.19 हैक्ट. भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होकर साबिक खसरा संख्या 78/1 से नवीन निर्मित हुआ है। न की वादी द्वारा बताया गये साबिक खसरा संख्या 78/3 से। ——————

उप... अधिकारी
फूलिया कलां, जिला–शाहपुरा

(4)

यह तथ्य भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श दस्तावेज संख्या 06 के अवलोकन से सिद्ध हुआ है। इन तथ्यों के आधार पर खसरा संख्या 1643 पर वादी का किसी प्रकार से हक साबित नही होना पाया गया है। बिलानाग खसरा संख्या 1642 रकबा 0.22 हैक्ट. भूमि पर वादी को गैरखातेदारी अधिकार प्रदान कर, आंशिक रूप राहत दी जा सकती है एवं उसी अनुसार आंशिक रूप से स्थाई निषेधाज्ञा भी दी जा सकती है।

अतः तनकी संख्या 01 व 02 आंशिक रूप व–हक वादी के निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 03! आया वादी को न्यायालय के प्रकरण संख्या 937/99 पारित निर्णय दिनांक 08.12.99 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए। वादपत्र गलत एंव झूंटे तथ्यों पर आधारित होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। वा–जिम्मे प्रतिवादी 02

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का दायित्व राज्य पक्ष तहसीलदार के जिम्मे रखा गया।

राज्य पक्ष का यह कथन रहा है कि वादी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के प्रकरण संख्या 937/99 पारित निर्णय दिनांक 08.12.99 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए। लेकिन पारित किए गये आदेश से पूर्व ही आराजी संख्या 1642 रकबा 0.52 हैक्टयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के पक्ष में आवंटित कर दिया गया था। पारित आदेश दिनांक 08.12.1999 से तो खसरा संख्या को दो भागो विभाजित कर, 0.22 हैक्ट को बिलानाम एवं शेष रकबे 0.30 हैक्ट. को नवीन बटा नम्बर 1642/1 से प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के अधिकारों में दिया गया। यानि इस पारित आदेश से पूर्व ही आवंटनशुदा आराजी 1642 पर वादी के अधिकार समाप्त कर, प्रतिवादी संख्या 03 से 05 को दे दिये गये थे। यह आदेश प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की खातेदारी में से कब्जे के आधार पर रकबा कम किए जाने संवंध में था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सलंग्न अभिलेखों व आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन करने के पश्चात तनकी संख्या 03 व–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत इस प्रकरण में कायम 03 तनकियात का निर्णय किये जाने के पश्चात वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायालय वादी के पक्ष में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे प्रस्तुत शपथपत्र तथा साक्ष्य वादी के प्रस्तुत शपथपत्र, वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन से एवं प्रकरण में कायम तनकियात वाद विषलेशण वादी के पक्ष में निर्णित होने से अभिलेखों पर मनन करने के पश्चात वादी का वादपत्र व–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वादी पक्ष द्वारा दावे के माध्यम प्रस्तुत अवशेष रही दलील/अभिवचन अस्वीकृत किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]–शाहपुरा

(5)

आदेश

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 02 इस प्रकार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम हुकमपुरा प.ह.क्षेत्र हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम सरकार दर्ज खसरा संख्या 1642 रकबा 0.22 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी को बतौर गैर–खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए. राजस्व रेकार्ड में इस आशय का अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार फुलियाकलां तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(राजकेश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला शाहपुरा